मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन योजना जनपद–कन्नौज।

जनपद के 1044 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों व 427 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 40 अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 18 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (कुल 1528 विद्यालय) में अध्ययनरत कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के छात्रों को मध्यान्ह भोजन वितरण कराया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन वितरण से जनपद के कुल 171214 बच्चे लाभान्वित हो रहें है। मध्यान्ह भोजन वितरण में प्राथमिक विद्यालयों के 129585 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के 41629 बच्चे शामिल है। मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु विद्यालयों में पंजीकृत कुल छात्र संख्या 171214 के सापेक्ष 70 प्रतिशत छात्रों हेतु खाद्यान्न एवं पंरिवर्तन लागत उपलब्ध करायी जाती है।

1–खाद्यान्न

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बच्चे को गर्म पका–पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति विद्यालय दिवस 100 ग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय दिवस 150 ग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में (अप्रैल से मार्च तक) कुल न्यूनतम 205 विद्यालय दिवस अधिकतम विद्यालय संचालित होने के दिवस का खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न में 02 भाग चावल एवं 01 भाग गेहूँ की मात्रा निर्धारित है।

2–परिवर्तन लागत

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बच्चे को गर्म पका–पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति छात्र एवं प्रति विद्यालय दिवस रू0 2.69 पैसे की दर से परिवर्तन लागत उपलब्ध करायी जाती है। तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र एवं प्रति विद्यालय दिवस रू0 4.03 की दर से परिवर्तन लागत उपलब्ध करायी जाती है। परिवर्तन लागत के आय–व्यय का विवरण रखने हेतु विद्यालय में एम0डी0एम0 पंजिका उपलब्ध रहती है। जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों एवं पकाकर वितरित कराये जाने वाले मध्यान्ह भोजन का विवरण अंकित किया जाता है। मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या के अनुसार निर्धारित दरो पर अनुमन्य परिवर्तन लागत की धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मिड–डे–मील खाते से आहरित कर मध्यान्ह भोजन वितरण कराने हेतु ग्राम प्रधान को अग्रिम उपलब्ध करायी जाती है।

3–मध्यान्ह भोजन वितरण का दायित्व

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन वितरण का दायित्व ग्राम पंचायतों को तथा ग्राम पंचायतों द्वारा अपने कर्तव्यों व दायित्वों का सही निर्वहन न करने पर महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलो, स्वयं सहायता समूहों, को प्रदान करने के निर्देश दिये गये है। नगरीय क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था सभासदों के माध्यम से कराने के निर्देश है। उनके द्वारा अपने दायित्वों व कर्तव्यों का सही निर्वहन न करने की स्थिति में ग्राम पंचायतें में की गई व्यवस्था के अनुसार मध्यान्ह भोजन वितरण कराने की व्यवस्था की जाती है।

क्रमशः पेज 02 पर

4–मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था का क्रियान्वयन

निर्धारित मीनू के अनुसार गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन वितरण कराने हेतु शासन द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टास्कफोर्स समिति एवं विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टास्कफोर्स समिति का गठन किया गया है। उप जिलाधिकारी महोदय अपने तहसील के अन्तर्गत स्थित सभी विकास खण्डों के अध्यक्ष नामित किये गये है। टास्कफोर्स समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा अनिवार्य रूप से 05 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिमाह कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने का प्रविधान किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वाले ग्राम पंचायतों, स्वयं सेवी संस्थाओं, महिला मंगल दलो, स्वयं सहायता समूहों के विरूद्ध जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन मे जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कड़ी कार्यवाही कराने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा जिला समन्वयक, एम0डी0एम0 एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सी0यू0जी0 नम्बर उपलब्ध कराये गये है। सी0यू0जी0 नम्बर सीधे सम्वाद हेतु विद्यालयों में अंकित करा दिये गये है। मध्यान्ह भोजन वितरण को सुचारू रूप से क्रियान्वयन कराने के दायित्व जिलास्तरीय टास्कफोर्स समिति एवं ब्लाक स्तरीय टास्कफोर्स समिति को दिये गये है।

5–किचेन शेड

जनपद के 1044 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 580 प्रा0वि0 में किचेन शेड का निर्माण कारया जा चुका है तथा 427 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 170 विद्यालयों में किचेन शेड का निर्मित है।

6–किचेन उपकरण

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक समस्त विद्यालयों में गर्म पका–पकाया मध्यान्ह भोजन तैयार करने हेतु किचेन उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार धनराशियॉ विद्यालयों के रख–रखाव खातों में प्रेषित कर दी गयी है।

7–बेइंग मशीन

गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पडा है। इसके लिए प्रतिमाह उनका बजन नापे जाने हेतु विद्यालयों में बेइंग मशीन तथा हाइट वेट चार्ट उपलब्ध कराया गया है। बेंइग मशीन एवं हाईट चार्ट की गणना से यह ज्ञात किया जायेगा कि बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा।

8–तराजू–बॉट

मध्यान्ह भोजन तैयार करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मीनू में वर्णित सामग्री की मात्रा जो ग्राम प्रधान द्वारा अथवा मध्यान्ह भोजन वितरण कराने वाली संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा तौलकर प्रतिदिन विद्यालय में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन पंजिका में अंकित किये जाने का प्राविधान है।

9–मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित बच्चें

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों द्वारा मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के पश्चात् मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या का अंकन विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन पंजिका में किया जाता है।

10–स्वास्थ्य परीक्षण

बच्चों के स्वास्थ और पौष्टिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवधिक स्वास्थ्य जॉच पद्धति मुख्य चिकित्साधिकारी के दिशा निर्देशन में लागू कराये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है। जिसको मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कराया जा रहा है।

कमशः पेज 03 पर

11–मध्यान्ह भोजन निरीक्षण–

विद्यालयों में वितरित कराये जा रहे मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जॉच टास्कफोर्स समिति के सदस्यो द्वारा की जाती है। निरीक्षण के पश्चात् प्रकाश में आयी कमियों से जिला पंचायत राज अधिकारी को अवगत कराते हुए ग्राम प्रधानो के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करायी जाती है।

12–दैनिक अनुश्रवण प्रणाली (आई0बी0आर0एस)

इन्ट्रेकटिव वॉयस रिपान्स सिस्टम (आई0वी0आर0एस0) आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालयों में प्रतिदिन अध्यापक/शिक्षामित्र के मोबाइल पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के द्वारा कॉल की जा रही है। इस प्रणाली के माध्यम से विद्यालयों में प्रतिदिन भोजन बनने की स्थिति तथा भोजन ग्रहण करने वाले बच्चो की संख्या ली जा रही है। जिससे योजना के सफल संचालन हेतु मानिटरिंग करने में आसानी तथा योजना से सम्बन्धित सूचनाये अध्यापको द्वारा जनपद वार प्रदेश मुख्यालय पर सीधे उपलब्ध करायी जा रही है। इससे योजना की पारदर्शिता में भी वृद्धि हो रही है।

13–पेयजल की व्यवस्था–

मध्यान्ह भोजन हेतु समस्त विद्यालय प्रागंणों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जा रही है। खराब पडे हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराकर पेयजल उपलब्ध कराया जाये। यदि नवीन हैण्डपम्प की आवश्यकता है तो उपलब्ध संसाधनो से नवीन हैण्डपम्प स्थापित कराया जाये। किसी भी दशा में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की कमी न होने पाये।

14–रसोइये की व्यवस्था–

मध्यान्ह भोजन तैयार करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय दिवसों में रसोइये की व्यवस्था रहेगी। वर्तमान में शासन द्वारा रसोइये कम हेल्पर को रू0 1000/– की दर से प्रतिमाह मानदेय का भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्धारित धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से रसोइये कम हेल्पर को प्रतिमाह भुगतान करेगें। रसोइये कम हेल्पर से मध्यान्ह भोजन तैयार कराने का कार्य विद्यालय दिवसों में ही लिया जायेगा। रसोइये कम हेल्पर के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर करायी जा चुकी ळें

15–मध्यान्ह भोजन निधि की व्यवस्था–

शासनादेश 1233/79–6–10 दिनांक 12 नवम्बर 2010 के द्वारा मध्यान्ह भोजन निधि के नाम से विद्यालय के प्रधानाध्यापको एवं सम्बन्धित ग्रामसभा के प्रधानो के संयुक्त हस्ताक्षरो से संचालित खाता खोले जाने सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जनपद के समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापको एवं ग्राम सभाओ के ग्राम प्रधानो को निर्देश दे दिये गये है। एम0डी0एम0 से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली समस्त मदो की धनराशियॉ अब मध्यान्ह भोजन निधि में ही प्रेषित की जायेगी।